Seventeenth Loksabha

an>

Title: Re. Issue of Scheduled Caste Certificate to the Bagri Community of Siwani District of Madhya Pradesh.

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी जिले में बागरी (बागड़ी) जाति बहुतायत में निवास करती है जो कि म.प्र. के अनुसूचित जाति की श्रेणी के क्रमांक 02 में अनुसूचित जाति के अंतर्गत अधिसूचित है । संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राज्य में किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी को है । इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बागरी जाति पूरे म.प्र. राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है तथा संपूर्ण म.प्र. में जाति प्रमाण पत्र लगातार जारी किये जा रहे हैं । महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं । राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के जारी परिपत्र कं. J-22/M.P.-8/2003/SSW-11, दिनांक 08.10.2003 मुख्य सचिव म.प्र. शासन को निर्देश दिया था कि म.प्र. राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के निर्णय दिनांक 12 मार्च, 2003 एवं उस संदर्भ में जारी पत्र कं. एफ 23-55/98/25/4 भोपाल, दिनांक 14.07.2003 को तत्काल निरस्त करते हुए बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करें । इसके पश्चात्, म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के पत्र क्र. एफ 23-55/90/25-4 भोपाल, दिनांक 25 नवंबर, 2004 को बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश जारी कर दिये गये थे । किंतु, अभी भी सिंवनी जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं और उनके द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्रों को लगातार निरस्त किया जा रहा है । जबकि जनगणना में बागरी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है । स्थानीय निकायों के चुनावों में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का मानकर आरक्षण दिया जाता है, जिसमें वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निकायों / वार्डों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद एवं अन्य पदों पर निर्वाचित होते हैं । पर, इन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, जिससे भारी असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है । इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में जवाब दिया गया कि बागरी जाति को छानबीन के उपरांत अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिये गये हैं । लेकिन, सिवनी जिले में आवेदन पत्रों को निरस्त करना लगातार जारी है जो कि अनुचित है । जिले में बागरी जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र न मिलने से जाति-समाज के लोगों में भारी आक्रोश है । अतः मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिवनी जिले की बागरी जाति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु म.प्र. शासन को निर्देश जारी करने का कष्ट करें । यदि इन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना है तो जनगणना में इन्हें अनुसूचित जाति से पृथक किया जाये तथा इनके लिये आरक्षित वार्डो निकायों को अनारक्षित वर्ग में रखा जाये ताकि असमंजस की स्थिति समाप्त हो सके ।